

अन्वान

कन्हैया लाल सिंह गोशायर इलाहाबाद
 निवासी बाल 10 बेड़े
 पार्थी / पार्थीगण

मौजी लाल सिंह राजाजी शुभारम्भ
 निवासी बाल 10 बेड़े
 विपक्षी / विपक्षीगण

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत मानत पत्थरगढी करने:

न्यायालय में अधिवक्ता श्री K.C. Saini के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके मात जॉच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जॉच किये जाने पर पाया कि पार्थी/पार्थीगण वर्गित आराजोयात का खातेदार है तथा पार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा नाल पटवार हल्का जेडी की आराजी संख्या 465, 543 कुल कीता-0.3 कुल रकबा 0.8800 है।

कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर पार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः पार्थी/पार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि पार्थी/पार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा नाल पटवार हल्का जेडी की आराजी संख्या 465, 543 कुल कीता-0.3 कुल रकबा 0.8800 भूमि की पत्थरगढी हेतु सूचना पत्र जारी कर पार्थी/पार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में पार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 1500/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र
 कीता-(2)

MF
 उपखण्ड अधिकारी, बेगुं
 जिला चित्तौडगढ़(राजा)

क्रमांक / सरिस्ता / 2025 / 288
 प्रार्थना पत्र संख्या 68/25

व अनवान कन्हैया लाल सिंह पत्र अ0धा0 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वारते पालनार्थ दी जाती है।

दिनांक :- 14/5/25
MF
 उपखण्ड अधिकारी, बेगुं
 जिला चित्तौडगढ़(राजा)